

दिनांक-16.07.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में हर खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं चौर से जल निकासी के उद्देश्य से VB-G-RAM-G के अंतर्गत जल संसाधन विभाग से संबंधित योजनाओं की Physical Mode में समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

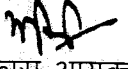
बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण :-

1. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार
2. सभी जिले के उप विकास आयुक्त
3. जल संसाधन विभाग के पदाधिकारीगण
4. ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारीगण

दिनांक-16.07.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में VB-G-RAM-G के अंतर्गत जल संसाधन विभाग से संबंधित हर खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं चौर से जल निकासी आदि योजनाओं की प्रस्तुतीकरण द्वारा समीक्षात्मक बैठक सभी जिले के उप विकास आयुक्त के साथ संपन्न हुई। बैठक के दौरान विकास आयुक्त बिहार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गए :-

- 1) सभी जिले के उप विकास आयुक्त को जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता के साथ VB-G-RAM-G के अंतर्गत विभाग की क्रियान्वित योजनाओं का स्थल निरीक्षण किये जाने तथा योजनाओं की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।
- 2) मुंगेर(4 अदद), दरभंगा(6 अदद), सीतामढ़ी(7 अदद), सहरसा(8 अदद), लखीसराय(10 अदद), गयाजी(11 अदद), किशनगंज(12 अदद) एवं शेखपुरा(13 अदद) जिला में चयनित योजनाओं की संख्या कम है, इन जिलों में माननीय जनप्रतिनिधियों/मुखिया एवं जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक योजनाओं का चयन करने हेतु निदेशित किया गया ताकि मानसून अवधि के पश्चात् चिन्हित योजनाओं की स्वीकृति देते हुए उनका क्रियान्वयन कराया जा सके।
- 3) कई जिलों में वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित योजनाओं की संख्या के विरुद्ध तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की संख्या में काफी अंतर है। निदेशित किया गया कि सिवान (351 अदद), पश्चिमी चम्पारण (280 अदद), अररिया (115 अदद), पूर्वी चम्पारण (106 अदद) सारण (96 अदद), वैशाली (51 अदद), गोपालगंज (43 अदद), औरंगाबाद (34 अदद) एवं अरवल (18 अदद) जिला की शेष योजनाओं में तकनीकी स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाय।
- 4) पश्चिमी चम्पारण (633 अदद), पूर्वी चम्पारण (563 अदद), गोपालगंज (227 अदद), पूर्णियाँ (119 अदद), अररिया (110 अदद), सिवान (108 अदद), मुजफ्फरपुर (71 अदद), सुपौल (63 अदद), बांका (52 अदद) एवं पटना (46 अदद) जिला में योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है परन्तु कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इन जिलों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा VB-G-RAM-G से संबंधित दिशा-निर्देश के अनुरूप शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाय।

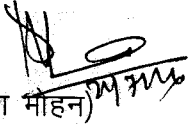
- 5) नवादा, अरवल, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगुसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, लखीसराय, शिवहर, बक्सर, पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर एवं जहानाबाद जिला में अभी तक एक भी योजना पूर्ण नहीं की गई है। निदेश है कि इन जिलों के अंतर्गत प्रारंभ की गई योजनाओं का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाय।
- 6) योजनाओं के चयन हेतु 10 लाख रुपये तक की अधिसीमा को बढ़ाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। तबतक योजनाओं को 10 लाख रुपये तक की सीमा में चयन करते हुए वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर चरणबद्ध रूप से कार्य कराने हेतु निदेशित किया गया।
- 7) नहर के जिन स्थलों पर मनरेगा के तहत पूर्व में कार्य कराया गया है वहाँ पर पांच वर्ष के अंतराल पर ही आवश्यकतानुसार कार्य कराया जाए।
- 8) योजनाओं के क्रियान्वयन में अतिक्रमण से संबंधित मामले पर नियमानुकूल कारवाई करते हुए कार्य की प्रगति में तेजी लाये जाने का निदेश दिया गया।
- 9) जल संसाधन विभाग द्वारा VB-G-RAM-G पर तैयार प्रस्तुतीकरण को सभी जिले के जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त को आवश्यक अग्रतः कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।


विकास आयुक्त
बिहार

ज्ञापांक-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV-501

/पटना, दिनांक-22/7/26

प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV-501

/पटना, दिनांक-22/7/26

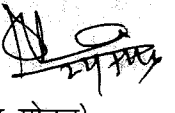
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV-501

/पटना, दिनांक-22/7/26

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

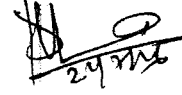

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV- 501

/पटना, दिनांक- 22/7/26

प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०-प्रस्तुतीकरण की प्रति।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV- 501

/पटना, दिनांक- 22/7/26

प्रतिलिपि :- सभी जिला के जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-प्रस्तुतीकरण की प्रति।



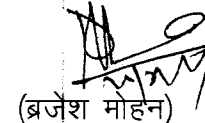
(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV- 501

/पटना, दिनांक- 22/7/26

प्रतिलिपि :- जल संसाधन विभाग के सभी मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं बाढ़ प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV- 501

/पटना, दिनांक- 22/7/26

प्रतिलिपि :- जल संसाधन विभाग के संबंधित जिलों के सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

अनु०-प्रस्तुतीकरण की प्रति।



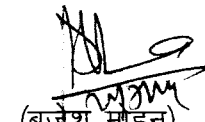
(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV- 501

/पटना, दिनांक- 22/7/26

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय